बिहार विधान-सभा वादवृत्त

(भाग १—कार्यवाही—प्रश्नोत्तर)

वृहस्पतिवार, तिथि २७ जून, १९७४ ।

विषय-सूची ।

		पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर :	बिहार विधान-सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली के नियम ४(ii) के परन्तुक के अन्तर्गत सभा-मेज पर रखे गये प्रश्नों के लिखित उत्तर ।	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर :		
अल्प-सूचित प्रश्नोत्तर संख्या :	५, १९ एवं २९	१-१०
तारांकित प्रश्नोत्तर संख्या :	११५, १९१, २१५, २२२, २३० २३१, २३३, २३४, २३५, २३६ २३७, २३९, २४१, २४२, २४४, २४५, २४६, २४९, २५१, २५२, २५५, २५६, २५७, २५८, २५९, २६०, २६१, २६४, २६५, २६६, २६७, २६८, २७१, २७२ एवं २७३ ।	११-४८
अतारांकित प्रश्नोत्तर :		
परिशिष्ट—१ (प्रश्नों के लिखित उत्तर) :		४९-७१
परिशिष्ट—२ (प्रश्नों के लिखित उत्तर) :		७२-९०
परिशिष्ट—३ (प्रश्नों के लिखित उत्तर) :		९१-१०१
दैनिक निबन्ध :	...	१०३-१०४

टिप्पणी :—जिन मंत्रियों एवं सदस्यों ने अपना भाषण संशोधन नहीं किया है । उनके नाम के आगे (*) चिह्न लगा दिया गया है ।

विपत्र का शीघ्र भुगतान

३४६। श्री जय प्रकाश मिश्र—क्या मंत्री, सिंचाई विभाग, यह बताने की कृपा करेंगे कि—

(१) क्या यह बात सही है कि संथाल परगना जिलान्तर्गत सिकटियाबराज योजना में एप्रोच सड़क के काम करने का आदेश बेरोजगार अभियंता श्री नागेश्वर पत्रलेख को कार्यपालक अभियन्ता श्री जगत शंकर प्रसाद ने दिया था और इस आधार पर श्री पत्रलेख ने एकरारनामे पर हस्ताक्षर कर काम प्रारम्भ किया जिसकी प्रथम नापी एम० बी० नम्बर १५६ में दर्ज कर विपत्र तिथि ११-६-७३ को मो० १०२१९ रुपए का बना जिसका भुगतान आजतक नहीं किया गया;

(२) क्या यह बात सही है कि अधीक्षण अभियन्ता, देवघर ने अपने कार्यालय पत्रांक ३३७४, दिनांक १७-१२-७३ और पुनः पत्रांक ४३३, दिनांक ९-२-७४ के द्वारा बनाए गए विपत्र की रकम श्री पत्रलेख को भुगतान कर देने का आदेश कार्यपालक अभियन्ता, क्षाक्षा को दिया था;

(३) क्या यह बात सही है कि इसके बावजूद कार्यपालक अभियन्ता ने आजतक उक्त रकम का भुगतान श्री पत्रलेख को नहीं दिया;

(४) यदि खंड (१) से (३) तक के उत्तर स्वीकारात्मक है तो इतनी लम्बी अवधि के बावजूद भुगतान नहीं करने का क्या कारण है, तथा सरकार विपत्र शीघ्र भुगतान कर दोषी पदाधिकारी पर कार्रवाई करनी चाहती है ?

श्री जगन्नाथ मिश्र—(१) उत्तर सही है सिर्फ विपत्र की रकम १०,२१९ न होकर १०,२२४ है।

(२) प्रश्न में दिया गया अधीक्षण अभियन्ता का पत्र रेट के संशोधन एवं भुगतान से सम्बन्धित है।

(३) खंड (२) में सम्बन्धित ठीकेदारों का भुगतान अभी नहीं हुआ है।

(४) भुगतान की दिशा में अधीक्षण अभियन्ता प्रयास कर रहे हैं।

भोजपुर शाखा नहर में पानी

३४९। श्री लाल बिहारी प्रसाद—क्या मंत्री, सिंचाई विभाग, यह बताने की कृपा करेंगे कि—

(१) क्या यह बात सही है कि रोहतास जिलान्तर्गत नारायणपुर में भलई नदी में बांध निर्माण कर भोजपुर शाखा नहर में पानी देने की योजना का सर्वेक्षण कर लिया गया है;

(२) यदि खंड (१) का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार पंचम पंचवर्षीय योजना की अवधि में इसे कार्यान्वित करने का विचार रखती है ?

श्री जगन्नाथ मिश्र (१) उत्तर स्वीकारात्मक है।

(२) योजना तकनीकी की जांच में है। तकनीकी जांच के बाद उपादेय होने पर एवं निधि उपलब्ध होने के बाद कार्य शुरू किया जा सकता है।

मध्यम सिंचाई योजनाओं का कार्यान्वयन

३५१। श्री विशेश्वर खां—क्या मंत्री, कृषि (लघु सिंचाई) विभाग, यह बताने की कृपा करेंगे कि—

(१) संथालपरगना जिलान्तर्गत जामताड़ा अनुमंडल से विभिन्न प्रखंडों में कौन-कौन मध्यम सिंचाई योजना कार्यान्वित हुई है;

(२) क्या सरकार संथालपरगना में बड़े व्यास के सिंचाई कूप शत प्रतिशत अनुदान पर बनाने का विचार रखती है, यदि नहीं तो क्यों ?

श्री जगन्नाथ मिश्र—(१) संथालपरगना जिलान्तर्गत जामताड़ा अनुमंडल के विभिन्न प्रखंडों में ७१ मध्यम सिंचाई योजनाएँ पूरी की गई है। प्रखंडवार नाम निम्न प्रकार है :—

१—जामताड़ा प्रखंड

(१) सहना मध्यम सिंचाई योजना (२) अलचुआ (३) जिबली वाड़ी (४) तियाल जोर (५) काला अरामा (६) बाबुडीह (७) ढुलाडीह (८) सोनवाद (९) पट्टाजोरीया (१०) पोसई (११) आसन हरीया १२) वाराटांड (१३) चाकरी (१४) कुरूका (१५) रटनिया (ईस्ट) (१६) रामपुर मितरा (१७) रटनिया (पश्चिम) (१८) चपारी मध्यम सिंचाई योजना (१९) बादमा (२०) चिपला (२१) धावना (२२) पंजनियां (२३) सिमुल बैरिया (२४) रामपुर चक।

२—नारायणपुर प्रखंड

(१) भदनाडीह (२) चन्द्रपुरा (३) अमजोरा (४) भेलाटांड़ (५) शंकरपुर (६) नारायणपुर (७) मोहनपुर (८) धर्मपुर (९) फातेहपुर (१०) काशीटांड़ (११) करभाई (१२) दक्षिण वहाल (१३) भोजपुर (१४) हथबंधा (१५) मोहनपुर (१६)